**सं. I-17011/11(4)/2008-एच-III**

**भारत सरकार**

**शहरी विकास मंत्रालय**

**(आवास-तृतीय खंड)**

****

**निर्माण भवन, नई दिल्ली।**

**दिनांकितः- 27 नवंबर, 2008**

## कार्यालय ज्ञापन

**विषयः- ब्याज देय अग्रिम/आवास निर्माण के लिए अग्रिम के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें-संबंध में।**

********

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकारी कार्मिकों को प्रदत्त आवास निर्माण अग्रिम सहित, ब्याज देय के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन सरकार के विचाराधीन है।

2. नई व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिए जाने के लंबित रहते हुए, व्यय विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है और आवास निर्माण अग्रिम हेतु निम्नलिखित प्रावधान लागू किए जाएं:

(i) नए निर्माण/नए आवास/फ्लैट की खरीद के लिए आवास निर्माण अग्रिम प्रदान करने हेतु अधिकतम सीमा, अधिकतम 7.50 लाख रु. की अधिकतम सीमा अथवा आवास की कीमत अथवा चुकौती क्षमता, जो भी कम हो, के अध्यधीन वेतन बैंड में 34 वेतन माह होगी।

(ii) मौजूदा आवास के विस्तार के लिए आवास निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा, अधिकतम 1.80 लाख रु. अथवा विस्तार की लागत अथवा चुकौती क्षमता, जो भी कम हो, के अध्यधीन वेतन बैंड में 34 वेतन माह होगी।

(iii) **अधिकतम सीमा पर प्रतिबंध, न्यूनतम 7.50 लाख रु. एवं अधिकतम 30.00 लाख रु. के अध्यधीन वेतन बैंड में 134 वेतन होगी और इसमें अधिकतम 30 लाख रु. की संशोधित अधिकतम कीमत के अधिकतम 25 प्रतिशत तक ढील दी जा सकती है।**

4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के नोटिस में लाएं।

5. ये आदेश इन्हें जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

**(वी.के. गुप्ता)**

**उप वित्तीय सलाहकार**

**सेवा में,**

(1). सभी मंत्रालय/विभाग भारत सरकार।

(2). चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दमन एवं दीव के संघ शासित प्रदेश प्रशासन।

**प्रतिलिपि अग्रेषितः-**

1. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव/राज्यमंत्री (शहरी विकास) के निजी सचिव/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव (आवास और शहरी गरीबी उपशमन)।
2. सचिव (शहरी विकास) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (शहरी विकास) के निजी सचिव/सचिव(आवास और शहरी गरीबी उपशमन) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
3. शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालयों में सभी संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग।
4. सूचना कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय।
5. शहरी विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालयों के तहत सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली।
7. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को दिनांक 24 अक्टूबर 2008 को कार्यालय ज्ञापन सं. 12(1)ई-II-ए/2008 के संदर्भ में।
8. निदेशक, जेसीए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
9. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शहरी विकास मंत्रालय, को इस अनुरोध के साथ कि आदेशों को शहरी विकास मंत्रालय की वैबसाइट पर डाला जाए।

**(जितेन्द्र सिंह)**
**अनुभाग अधिकारी (एच-III)**